

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-646 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

दशरथ स्वांसी वगैरह.....आवेदक / विक्रेता

महेन्द्र प्रसाद स्वांसी.....क्रेता

बनाम

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
08.01.2024	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक/आवेदिका 1. श्री/श्रीमती दशरथ स्वांसी वो 2. श्री/श्रीमती अरूण स्वांसी दोनों के पिता/पति स्व0 जगदेव स्वांसी ग्राम-सारिदकेल, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरण</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं0</th><th>खाता नं0</th><th>खेसरा सं0</th><th>रकबा(एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>सेनेगुडु</td><td>111</td><td>146</td><td>671</td><td>0.10</td></tr></tbody></table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका 1. श्री/श्रीमती दशरथ स्वांसी वो 2. श्री/श्रीमती अरूण स्वांसी दोनों के पिता/पति स्व0 जगदेव स्वांसी ग्राम-सारिदकेल, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को ऋण चुकाने एवं अन्य कार्य हेतु आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती महेन्द्र प्रसाद स्वांसी पिता/पति स्व0 महादेव स्वांसी ग्राम-नयालडीह, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं0 02375004370 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 01 दिनांक 02.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम महानन्द स्वांसी है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के पुत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 2 के पृष्ठ सं0 78 पर जमाबंदी दर्ज है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)	सेनेगुडु	111	146	671	0.10	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)								
सेनेगुडु	111	146	671	0.10								

ही जिला खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं एवं एक ही जिला के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक जिला के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 1471 दिनांक 23.08.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCSC/2023/46644 दिनांक 24.05.2023 व अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHLRCO/2023/281318 दिनांक 12.05.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 01 दिनांक 02.01.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका 1. श्री/श्रीमती दशरथ स्वांसी व 2. श्री/श्रीमती अरुण स्वांसी दोनों के पिता/पति स्व० जगदेव स्वांसी ग्राम-सारिदकेल, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती महेन्द्र प्रसाद स्वांसी पिता/पति स्व० महादेव स्वांसी ग्राम-नयालडीह, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम सेनेगुटु के खाता सं० 146 खेसरा संख्या 671, रकबा 0.10 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।